पत्रांक– 1787

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव

सेवा में,

सभी मुख्य अभियंता
सभी अधीक्षण अभियंता
सभी कार्यपालक अभियंता,
लघु जल संसाधन विभाग,बिहार, पटना।

पटना, दिनांक 20 / 05 / 2020

विषयः कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के संबंध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि कोरोना महामारी के कारण राज्य में प्रवासी मजदूरों के आगमन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। राज्य सरकार श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयत्नशील है।

2. लघु जल संसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं में श्रमिकों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जाना है। इस हेतु निम्नवत् निर्देश दिये जाते हैं –

(i) प्रत्येक योजना में कुशल/अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिले, इस हेतु संबंधित कनीय अभियंता द्वारा एजेंसी से विमर्श किया जाए और उन्हें प्रेरित किया जाये कि वे स्थानीय श्रमिकों को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध करायें।

(ii) विभाग की कार्यान्वित हो रही योजनाओं में ड्रेसिंग, कॉम्पेक्शन, वृक्षारोपण, ट्रैक्टर के माध्यम से मिट्टी ढुलाई, ब्रिक मैसनरी का कार्य आदि में अधिक से अधिक मानव दिवस सृजित किये जाने की संभावना है। तद्नुसार हर योजना के संदर्भ में विश्लेषण कर, संवेदक के साथ विमर्श कर निर्धारित किया जाये कि कितने अधिक श्रमिकों

को रोजगार पर लगाया जा सकता है और उन्हें रोजगार देने का भरपूर प्रयास किया जाये।

(iii) विभाग के वरीय अभियंताओं से हुए विमर्श से ऐसा विदित है कि मिट्टी के कार्य की योजनाओं में लगभग 15 से 20 प्रतिशत व्यय श्रमिकों को मजदूरी भुगतान मद में संवेदक द्वारा किया जा सकता है। तद्नुसार संवेदकों को प्रेरित कर अनुश्रवण सुनिश्चित करें।

(iv) योजनावार विभाग को उपलब्ध कराये जा रहे दैनिक प्रतिवेदन में श्रमिकों की संख्या एवं सृजित मानव दिवसों की संख्या में तद्नुसार उत्तरोत्तर वृद्धि परिलक्षित होनी चाहिए।

3. कोरोना महामारी प्रबंधन में श्रमिकों को अतिरिक्त रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सभी कार्यपालक अभियंता अपने–अपने प्रमंडल में अतिविशिष्ट तरीके से संवेदनशीलता प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।

4. सभी अधीक्षण अभियंता तदनुसार मार्गदर्शन सुनिश्चित करके अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार का अवसर मिल सके, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

विश्वासभाजन

19/5/20

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1787 पटना, दिनांक 20/05/2020

प्रतिलिपि – प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग/प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/5/20

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–1787 पटना, दिनांक 20/05/2020

प्रतिलिपि – माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

19/5/20

(अमृत लाल मीणा)
प्रधान सचिव